निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 26 पटना, बुधवार, 4 आषाढ़ 1936 (श0)
25 जून 2014 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-4**
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	**5-8**
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	**9-14**

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

25 मार्च 2014

सं० 1/सह०स्था०(2)सह०सेवा–16/2005–1350––श्री अखिलेश कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को जनसम्पर्क पदाधिकारी, कार्यालय–निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

26 मार्च 2014

सं० 1/सह०रा०स्था०(निजी)18/2013–**1365**––श्री सत्येन्द्र कुमार प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज को अपनी पत्नी के इलाज हेतु दिनांक 30.04.2013 से 15.05.2013 तक उपार्जित अवकाश में जाने की अनुमति विभागीय अधिसूचना संख्या–1999 दिनांक 03.05.2013 द्वारा दी गयी थी।

श्री कुमार को बिहार सेवा संहिता के नियम–227, 229 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 30.04.2013 से 15.05.2013 तक अर्थात् कुल 16 (सोलह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति पूर्ण मासिक वेतन पर प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

20 मई 2014

सं० 1/सह०स्था०(2)प्रशि०–35/07–**2032**––विभागीय अधिसूचना संख्या–1257 दिनांक 14.03.11 द्वारा नियुक्त श्री मिथिलेश कुमार, परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बेनीपट्टी अंचल, बेनीपट्टी (मधुबनी) को उनके द्वारा सफल सांस्थिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के फलस्वरूप अर्थात् परीक्ष्यमान अवधि की समाप्ति के उपरान्त सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के रूप में अपने पदस्थापन के कार्यालय के लिए सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों के स्वतंत्र निष्पादन हेतु अधिकृत किया जाता है। साथ हीं विभागीय अधिसूचना संख्या 5076 दिनांक 26.12.08 एवं 5077 दिनांक 26.12.08 द्वारा सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ को बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम–1935 एवं बिहार स्वालंबी सहकारी अधिनियम–1996 के तहत प्रदत्त शक्तियाँ भी उन्हें प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

24 जनवरी 2014

सं० 1/रा०स्था०/वि०स०से०–30/2007–394––श्री विकास रंजन प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर (अतिरिक्त प्रभार–सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बक्सर) की सेवा श्री नन्द किशोर यादव, माननीय नेता विरोधी दल, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव के रूप में कार्य करने हेतु संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है।

सं० 1/रा०स्था०/वि०स०से०–30/2007–395––श्री कविन्द्र नाथ ठाकुर, जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार (अतिरिक्त प्रभार–प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि०, कटिहार) को स्थानान्तरित करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। इनके जिम्मे सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बक्सर का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।

सं० 1/रा०स्था०/वि०स०से०–30/2007–396––श्री प्रभात कुमार, प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि०, खगड़िया (अतिरिक्त प्रभार–जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया) को स्थानान्तरित करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है। इनके जिम्मे प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि०, कटिहार का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।

सं० 1/रा०स्था०/वि०स०से०–30/2007–397––श्री चन्द्रशेखर सिंह, प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि०, बेगूसराय (अतिरिक्त प्रभार–जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगूसराय एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर

प्रमण्डल, भागलपुर) को अपने कार्यो के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰, खगड़िया, जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, खगड़िया का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मधुरानी ठाकुर, उप–सचिव।

---

28 जनवरी 2014

सं० 1/सह॰राज॰स्था॰(स्थाना॰)–56/2013–460––श्री कुमार शांत रक्षित, जिला सहकारिता पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधक, स॰स॰, सुपौल को स्थानान्तरित करते हुए प्रबंध निदेशक, दी पाटलीपुत्र सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

इनके जिम्मे सहायक निबंधक, स॰स॰, दानापुर का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।

सं० 1/सह॰राज॰स्था॰(स्थाना॰)–56/2013–461––श्री कृष्णा चौधरी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा (अतिरिक्त प्रभार–संयुक्त निबंधक, स॰स॰, मगध प्रमंडल, गया, प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰, नवादा, सहायक निबंधक, स॰स॰, नवादा) को स्थानान्तरित करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी, सुपौल के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/सह॰राज॰स्था॰(स्थाना॰)–56/2013–462––श्री सतीश कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक, सासाराम–भभुआ सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰, सासाराम को स्थानान्तरित करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी, जमुई के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/सह॰राज॰स्था॰(स्थाना॰)–56/2013–463––श्री अभय झा, प्रबंध निदेशक, दी पाटलीपुत्र सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰, पटना (अतिरिक्त प्रभार–सहायक निबंधक, स॰स॰, दानापुर) को स्थानान्तरित करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/सह॰राज॰स्था॰(स्थाना॰)–56/2013–464––श्री विक्रम कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया (अतिरिक्त प्रभार–सहायक निबंधक, स॰स॰, गया) को स्थानान्तरित करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

इनके जिम्मे प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰, नवादा, सहायक निबंधक, स॰स॰, नवादा, संयुक्त निबंधक, स॰स॰, मगध प्रमंडल, गया का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।

सं० 1/सह॰राज॰स्था॰(स्थाना॰)–56/2013–465––डा॰ श्रवण कुमार, प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰, औरंगाबाद को स्थानान्तरित करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी, सासाराम के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री इन्दीबर पाठक, जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद अपने कार्यो के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰, औरंगाबाद के प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/सह॰राज॰स्था॰(स्थाना॰)–56/2013–466––श्री बबन मिश्र, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सासाराम को स्थानान्तरित करते हुए प्रबंध निदेशक, सासाराम–भभुआ सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰, सासाराम के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मधुरानी ठाकुर, उप–सचिव।

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचनाएं

5 जून 2014

सं० भा0स्था0(02)–17/06(खंड)–1615/प0व0––श्री ए0एन0 शरण, भा0व0से0 (85), जिन्हें झारखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना सं0–471, दिनांक 24.02.2009 द्वारा दिनांक 22.02.2007 से मुख्य वन संरक्षक का Non Functional वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है, को उनसे ठीक कनीय पदाधिकारी, श्री भारत ज्योति, भा0व0से0 (86) को मुख्य वन संरक्षक कोटि में दी गयी प्रोन्नति की तिथि 19.07.2007 से मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतनमान 37400–67000, ग्रेड पे–10,000) में प्रोन्नति दी जाती है।

सं० भा0स्था0(02)–17/06(खंड)–1616/प0व0–– श्री ए0के0 पाण्डेय, भा0व0से0 (86), जिन्हें झारखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना सं0–476, दिनांक 24.02.2009 द्वारा दिनांक 19.11.2007 से मुख्य वन संरक्षक का Non Functional वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है, को उनसे ठीक कनीय पदाधिकारी, डॉ0 सतेन्द्र, भा0व0से0 (86) को मुख्य वन संरक्षक कोटि में दी गयी प्रोन्नति की तिथि 13.12.2007 से मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतनमान 37400–67000, ग्रेड पे–10,000) में प्रोन्नति दी जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा, उप–सचिव।

5 जून 2014

सं० भा०स्था० (02)–17/06(खण्ड) **1617**/प०व०—भारतीय वन सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के पदाधिकारी श्री अभय कुमार, भा0व0से0 (2000) को दिनांक 01.01.2013 के प्रभाव से उप वन संरक्षक का प्रवर कोटि (वेतनमान 37400–67000, ग्रेड पे–8700) स्वीकृत किया जाता है।

सं०भा०स्था० (02)–17/06(खण्ड) **1618**/प०व०—भारतीय वन सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के पदाधिकारी श्री मनोज कुमार सिंह, भा0व0से0(2001) को दिनांक 01.01.2014 के प्रभाव से उप वन संरक्षक का प्रवर कोटि (वेतनमान 37400–67000, ग्रेड पे–8700) स्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा, उप–सचिव।

---

5 जून 2014

सं० भा० स्था० (02)–17/06(खण्ड) **1619**/प०व०—भारतीय वन सेवा के उप वन संरक्षक के प्रवर कोटि के पदाधिकारी श्री ललन प्रसाद सिंह, भा0व0से0 (1996) को वन संरक्षक कोटि (वेतनमान 37400–67000, ग्रेड पे–8900) में अधिसूचना निर्गत् की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है।

सं० भा० स्था० (02)–17/06(खण्ड) **1620**/प०व०—भारतीय वन सेवा के उप वन संरक्षक के प्रवर कोटि के पदाधिकारी श्री संजय कुमार सिन्हा, भा0व0से0(1996) को वन संरक्षक कोटि (वेतनमान, 37400–67000, ग्रेड पे–8900) में अधिसूचना निर्गत् की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा, उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना
30 मई 2014

सं0 एन0एच0–21/विविध–01–54/2011–4335(s)—सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0–का0 आ0–677(अ0) नई, दिल्ली, दिनांक–5 मार्च 2014 द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित राजमार्ग जिसे राजमार्ग के रूप में अधिघोषित करते हुए इनके विकास एवं रख–रखाव करने हेतु बिहार राज्य सरकार को सौंपा गया है, का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के अंतर्गत किया जा रहा हैः–

1.	क्रमांक	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
	(क)	New National Highway No.131A [the Highway starting from Malda, connecting Ratua and Debipur in the State of West Bengal, connecting Ambabad, Manihari, Katihar on NH-31 and terminating at Purnia on NH-27(New number)]

2. उल्लिखित पथों, यथा–कंडिका–1 'क' का विकास/रख–रखाव राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के अंतर्गत प्रमंडल द्वारा निम्न प्रकार किया जाएगाः–

क्रमांक	रारा. सं0 (नई सं0)	पथांश का विवरण	लम्बाई (कि0मी)	राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल का नाम
1	131ए	कि0मी0 0.00 से कि0मी0 81.10 तक [बिहार राज्य में अमदाबाद (बिहार–पश्चिम बंगाल सीमा) से प्रारंभ होकर मनिहारी, रा0रा0–31 (नई सं0) पर कटिहार होते हुए पूर्णियॉ में रा0रा0–27(नई सं0) के जंक्शन तक]	81.10	पूर्णियॉ

3. यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
4. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अपने क्षेत्राधिकार के अधीन पड़ने वाले उपरोक्त राजमार्ग (यथा कंडिका–1 'क') के पथांश को राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरित कर देगें।
5. उल्लिखित पथों (यथा कंडिका–1 'क') में चालू योजनाओं का कार्यान्वयन चालू कार्य पूरा होने तक पथ निर्माण विभाग के संबंधित प्रमंडल/अंचल/उपभाग द्वारा संपादित किया जाएगा तथा प्रगतिशील कार्य पूर्णतः समाप्त होने के तुरन्त वाद इन्हें राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग से संबंधित प्रमंडल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
6. उल्लिखित पथों (यथा कंडिका–1 'क') से संबंधित पूर्व का कोई भी दायित्व राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग का नहीं होगा।
7. विभागीय अधिसूचना सं0–एन0एच0–21/विविध–01–54/2011–1570(एस) पटना दिनांक 27.02.2013 द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–131ए (नई सं0) इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, विशेष सचिव।

सं० बाढ़(मो0)सिं0–18/2009 अंश–1033

जल संसाधन विभाग

संकल्प

2 जून 2014

विषय :– वर्ष 2014 बाढ़ के दौरान राज्य स्थित नंदियों पर तटबंधों/ अन्य आक्राम्य स्थलों की सुरक्षा के निमित्त स्थल पदाधिकारियों को परामर्श प्रदान करने हेतु बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन के सम्बन्ध में।

1. विगत वर्ष के भांति बाढ़ के दौरान आक्राम्य की स्थिति उत्पन्न होने पर कम से कम समय में कटाव स्थल पर पहुँच कर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के स्वरूप का निर्धारण कर कटाव स्थलों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार का दायित्व है। इस दृष्टिकोण से **''बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003'** लागू है जिसके अधीन बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो के प्रबोधन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों की भूमिका परिभाषित है। इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ प्रबंधन हेतु परिचालित मानक संचालक प्रक्रिया एवं समय–समय पर कार्यपालक आदेश के तहत भी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु निदेश निर्गत किये जाते हैं।

2. बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो के प्रबोधन में अनुभव की अहम् भूमिका रही है। अतः क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो के सम्पादन में परामर्श देने के निमित्त सेवा निवृत अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता को निम्न रुपेण नदी बेसिनवार 13 (तेरह) अदद् बाढ़ संघर्षात्मक बलों के लिए अध्यक्ष के रुप में मनोनीत किया जाता है।

क्र0 सं0	अध्यक्ष का नाम	क्षेत्र	मुख्यालय
1	2	3	4
1.	श्री जनक कुमार सिंह, सेवा निवृत अधीक्षण अभियन्ता	वीरपुर बराज से उपर (नेपाली तटबंध सहित)	वीरपुर
2.	श्री महेन्द्र चौधरी, सेवा निवृत मुख्य अभियन्ता	पूर्वी कोशी तटबंध के 40.00 कि0मी0 से 125.00 कि0मी0 तक	सहरसा
3.	श्री सहजानन्द सिंह, सेवा निवृत अधीक्षण अभियन्ता	वीरपुर बराज के नीचे 40.00 कि0मी0 तक पूर्वी कोशी तटबंध	भपटियाही
4.	श्री आश्रम राय, सेवा निवृत अधीक्षण अभियन्ता	पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, कुनौली एवं पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली के कार्य क्षेत्र	निर्मली
5.	श्री शीतल चन्द्र झा, सेवा निवृत अधीक्षण अभियन्ता	महानन्दा, गंगा एवं पूर्णियॉ परिक्षेत्र	कटिहार
6.	श्री हीरालाल सिंह, सेवा निवृत अधीक्षण अभियन्ता	बाढ़ नियंत्रण अंचल, दरभंगा एवं रूपांकण अंचल समस्तीपुर का कार्य क्षेत्र	दरभंगा
7.	श्री शैलेश कुमार सिंह, सेवा निवृत मुख्य अभियन्ता	बाढ़ नियंत्रण अंचल, समस्तीपुर एवं खगड़िया का कार्य क्षेत्र	खगड़िया
8.	श्री प्रकाश चन्द्र, सेवा निवृत अधीक्षण अभियन्ता	गंगा नदी पर नवगछिया स्थित इस्माईलपुर बिन्दटोली, राधोपुर एवं अन्य स्थानीय नदियॉ	भागलपुर
	श्री उमा शंकर सिंह, सेवा निवृत अभियन्ता प्रमुख	गंगा नदी पर नवगछिया स्थित इस्माईलपुर बिन्दटोली, राधोपुर एवं अन्य स्थानीय नदियॉ	भागलपुर
9.	श्री देवेन्द्र झा , सेवा निवृत अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता, पटना, औरगावाद, गया, डिहरी के कार्य क्षेत्र हेतु	पटना
10.	श्री अब्दूल हमीद, सेवा निवृत अधीक्षण अभियन्ता	पिपरा–पिपरासी तटबंध	गोपालगंज
11.	श्री राजेश्वर सिंह, सेवा निवृत अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता, सिवान का परिक्षेत्र (पिपरा–पिपरासी तटबंध छोड़कर)	सिवान
12.	श्री महेश प्रसाद ठाकुर, सेवा निवृत अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता, बाल्मीकीनगर का कार्य क्षेत्र	मोतिहारी
13.	श्री किशोर कुमार, सेवा निवृत अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर का कार्य क्षेत्र	मुजफ्फरपुर

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री वृजनन्दन प्रसाद सेवा निवृत अभियन्ता प्रमुख, श्री आनन्द किशोर प्रसाद शाही, सेवा निवृत मुख्य अभियन्ता, श्री सुदर्शन राय, सेवा निवृत मुख्य अभियन्ता, श्री गणेश कुमार, सेवा निवृत अधीक्षण अभियन्ता एवं श्री परमेश्वर प्रसाद, सेवा निवृत अधीक्षण अभियन्ता को सुरक्षित अध्यक्ष, के रूप में मनोनित करने हेतु चयन करने पर निर्णय लिया गया है जिन्हें बाढ़ अवधि 2014 में आवश्यकतानुसार आक्राम्य स्थलों पर भेजा जायेगा ।

4. समिति के लिये निर्धारित विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है :–
   (i) आक्राम्य स्थलों की पहचान कर इनकी सुरक्षा हेतु तुरंत परामर्श प्रदान करना।
   (ii) बाढ़ सामग्रियों की उपलब्धता का आकलन एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सामग्रियों के प्रबंधन हेतु परामर्श प्रदान करना ।
   (iii) अतिसंवेदनशील स्थलों पर कम से कम समय में पहुँचकर बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के स्वरूप निर्धारण में परामर्श प्रदान करना ।
   (iv) स्थलीय स्थिति का दैनिक प्रतिवेदन सीधे केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना एवं संबंधित मुख्य अभियंता को उपलब्ध कराना ।
5. बाढ़ संघर्षात्मक बल बाढ़ अवधि में 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच अपने–अपने निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करेगें।
6. बाढ़ संघर्षात्मक बल के आवासन, परिवहन इत्यादि की व्यवस्था संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा की जायेगी।
7. जिला प्रशासन एवं विभागीय अभियंताओं के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा बाढ़ संघर्षात्मक बल हेतु एक राजपत्रित पदाधिकारी सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।
8. मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन बाढ़ संघर्षात्मक बल के लिए सदस्य के रुप में एक कार्यपालक अभियंता, एक सहायक अभियंता एवं दो कनीय अभियंता को मनोनीत करेगें। सामान्य रुप से मनोनीत पदाधिकारी अकार्य कोटि से लिये जायेंगे।
9. समिति के अध्यक्ष (सेवा निवृत) को देय मानदेय संबंधी आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
10. उपरोक्त बाढ़ संघर्षात्मक अध्यक्षों के परामर्श का यह अर्थ नहीं होगा कि संबंधित मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जायेंगे। उनकी जबाबदेही यथावत रहेगी। बाढ़ संघर्षात्मक बल मूलतः परामर्श प्रदान करने के दृष्टिकोण से गठित किया गया है। बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003 एवं अन्य विभागीय अनुदेशों के आलोक में आक्राम्य स्थलों की पहचान करना, उनपर निगरानी रखना, आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों का कार्यान्वयन कराना, बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, अतिसंवेदनशील स्थलों पर कम से कम समय में पहुँचकर कार्यों के स्वरूप को निर्धारण करना, स्थलीय स्थिति का दैनिक प्रतिवेदन केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराने का कार्य स्थल पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है एवं इसका वहन उनके द्वारा किया जाता रहेगा ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुमीर कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)।

मुख्य अभियंता का कार्यालय
जल संसाधन विभाग, सिवान।

कार्यालय आदेश
5 जून 2014

का0आ0सं0 1स्था0अनु0–12–114/2012–**59**—समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति **सारण** के पत्रांक **1763/स्था0 दिनांक 31.12.13** एवं पत्रांक 391/स्था0/ दिनांक 4.3.14 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति **सारण** की दिनांक **03.12.2013** की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में **स्व0 नन्दु सिंह, भूतपूर्व अनुसेवक, सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा के आश्रित पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह की** अनुकंपा के आधार पर वेतनमान **5200–20200 + ग्रेड पें–1800(मैट्रिक)** रूपये एवं समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित **अनुसेवक** के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, **सारण नहर प्रमंडल मढौरा** के कार्यालय में दिनांक **23.06.2014**. तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. **स्व0 नन्दु सिंह** के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण का दायित्व **श्री ओम प्रकाश सिंह** पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सारण (**छपरा)** के असैनिक शैल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर **श्री ओम प्रकाश सिंह** की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकम्पा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण–पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण–पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री **ओम प्रकाश सिंह** से भरण–पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।

11. उप–सचिव, वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31.8.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से,
दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता।

सहकारिता विभाग

अधिसूचना
14 मार्च 2014

सं० 1/रा०स्था०–बि०स०से०–30/2007/1222—विभागीय अधिसूचना संख्या 462 दिनांक 28.01.14 द्वारा श्री सतीश कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक, सासाराम–भभुआ सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि०, सासाराम को स्थानान्तरित करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी, जमुई के पद पर पदस्थापित किया गया है। उक्त अधिसूचना में अंकित ''जिला सहकारिता पदाधिकारी, जमुई'' के स्थान पर ''जिला सहकारिता पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जमुई'' पढ़ा जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

5 फरवरी 2014

सं० 8/नि०को०(रा०) विभागीय–701/2013–586—विभागीय अधिसूचना संख्या–5018 दिनांक 04.12.2013 के द्वारा श्री नित्यानन्द दास, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णिया–सह–प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, पूर्णिया को उनके पदस्थापन काल में वृहद पैमाने पर बैंक की राशि क्षति पहुँचाने, फर्जी भुगतान करने बड़े पैमाने पर अवैध नियुक्ति करने, गबन कर्त्ताओं को संरक्षण देने, निर्वाचन जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य को प्रभावित करने तथा अपने पदीय कर्त्तव्य में लापरवाही/अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में विभागीय कार्यवाही के संचालनार्थ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9(1)(क) के तहत् श्री दास को दिनांक 04.12.2013 के प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5020 दिनांक 04.12.2013 के द्वारा श्री दास के विरूद्ध आरोप–पत्र (प्रपत्र–क) गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया है।

श्री दास दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत होने वाले है। अतएव् बार्द्वक्य सेवानिवृति के कारण दिनांक 31.01.2014 के प्रभाव से श्री दास को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2. श्री दास के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत् सम्परिवर्तित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव (निगरानी)।

5 फरवरी 2014

सं० 8/निग०को०(रा०) विभागीय–712/2013–594—श्री भोगेन्द्र नाथ झा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दि पाटलीपुत्रा सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक, पटना सम्प्रति उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–49/2010, दिनांक 02.07.2010 दर्ज है तथा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाना है। जनहित में इनका निलंबन आवश्यक है ताकि जाँच कार्यो में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। अतएव् बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9(1)(क) तथा नियम–9(1)(ग) के अंतर्गत उन्हें अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव (निगरानी)।

26 मार्च 2014

सं० 8/नि०को०(रा०) विभागीय–711/12–1378––श्री अशोक कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोड्डा सम्प्रति सहायक निबंधक (अ०र०), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को दिनांक 04०10०2002 को श्री वशिष्ट मंडल, सचिव मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि0 से तालाब बन्दोबस्ती एवं समिति के लेखा–जोखा के नाम पर 2,000/–(दो हजार) रुपये रिश्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल के द्वारा रंगे–हाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा श्री कुमार के विरुद्ध निगरानी थानाकांड संख्या– 66/2002, दिनांक 01०10०2002 दर्ज है। श्री कुमार को सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार के विभागीय अधिसूचना सं० 840 दिनांक 16०11०2002 द्वारा दिनांक 04०10०2002 के प्रभाव से निलंबित किया गया तथा उनके विरुद्ध झारखंड सरकार के अधिसूचना सं० 02 दिनांक 04०01०2003 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। श्री कुमार के विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं० 66/2002 में अभियोजन की स्वीकृति भी दी गयी। श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, छोटा नागपुर प्रमंडल, राँची द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि चूँकि श्री कुमार के विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड के आधार पर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है। अतः इस मामले में माननीय न्यायालय के आदेश होने तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखा जाय। झारखंड सरकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के अभिमत से असहमत होते हुए पुनः दूसरा संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इसी बीच कैडर बंटवारे के उपरान्त श्री कुमार की सेवा झारखंड सरकार से बिहार सरकार में वापस आ गयी। तदोपरान्त झारखंड सरकार के पत्रांक 1100 दिनांक 12०06०2009 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जानी है। सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 1451 दिनांक 31०05०2006 से श्री कुमार को निलंबन मुक्त करते हुए निलंबन मुक्ति की तिथि 04०10०2002 से 31०05०2006 तक के अवधि पर निर्णय आपराधिक मुकदमा के अंतिम फैसला के पश्चात् किया जायेगा।

आपराधिक मुकदमा के लंबित रहते हुए भी नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। उक्त के आलोक में बिहार सरकार के विभागीय संकल्प सं० 3507 दिनांक 02०09०2009 से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में अभिमत है कि आरोपित पदाधिकारी को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद उनके द्वारा किसी भी आरोप से न तो इंकार किया गया है और न गुण–दोष पर अपना कोई पक्ष रखा गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित पाया गया। फलस्वरूप विभागीय पत्रांक 3196 दिनांक 25०07०2013 द्वारा श्री अशोक कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री कुमार ने द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में उल्लेख किया है कि द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव देने के पूर्व उन गवाहों की प्रतिपरीक्षण करने एवं संपूर्ण जब्त प्रदर्श का नमूना, संपूर्ण जब्त दस्तावेज एवं संपूर्ण कागजात उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान किया जाय ताकि मैं अपने आपको निर्दोष साबित कर सकूँ। इस प्रकार श्री कुमार द्वारा विभागीय कार्यवाही के अनुरूप द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव नहीं दिया गया। मात्र इनके द्वारा कहा गया कि प्रपत्र ''क'' में लगाये गये सारे आरोपों को साक्ष्य के अभाव में पूर्णतः अस्वीकारकरता हूँ।

श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा के प्रत्युत्तर की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार के विरुद्ध रिश्वत लेते हुए रंगे–हाथे पकड़े जाने का आरोप काफी गंभीर है। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी श्री कुमार के 2,000/–(दो हजार) रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे–हाथ पकड़े जाने के साथ–साथ कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने का आरोप प्रमाणित पाया गया है।

श्री कुमार के विरुद्ध गंभीर कदाचार के मामले में दोषी पाये जाने के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरांत श्री अशोक कुमार को निम्नांकित दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गयाः–

1० निलंबन अवधि (दिनांक 04०10०2002 से 31०05०2006 तक) के लिए पूर्वप्रदत्त जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

2० उपर्युक्त गंभीर आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (XI) के तहत् सेवा से बर्खास्त किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाय।

उपर्युक्त दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

चूँकि श्रीकुमार समूह–''क'' के पदाधिकारी हैं, अतएव श्रीकुमार के विरुद्ध अनुमोदित दण्ड पर विभागीय पत्रांक 4414 दिनांक 20०10०2013 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति माँगी गयी।

बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्रांक–2635 लो०से०आ० दिनांक 28०02०2014 द्वारा उक्त दण्ड के प्रस्ताव में सहमति दी है। उक्त दण्ड पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः श्री अशोक कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोड्डा सम्प्रति सहायक निबंधक (अ०र०), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना जिनका विवरणी नीचे अंकित है, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है :–

1० निलंबन अवधि (दिनांक 04०10०2002 से 31०05०2006 तक) के लिए पूर्वप्रदत्त जीवन निर्वाहभत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

2० उपर्युक्त गंभीर आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (XI) के तहत् सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

(i) सरकारी सेवक का नाम– श्री अशोक कुमार

(ii) स्रकारी सेवक की जन्मतिथि – 24०05०1955

(iii) स्रकारी सेवा धारण की तिथि– 02.04.1987

(iv) स्रकारी सेवक के पिता का नाम–स्व. छत्रबली राम

(iv) स्थायी पता :–ग्राम–मनेर तेलपा, थाना–विक्रम, जिला–पटना।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव (निगरानी)।

---

26 मार्च 2014

सं० 8/नि.को. (रा.) थाना कां. 907/11–1379––श्री सुरेश प्रसाद, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति निलंबित को दिनांक 30.09.2008 को श्री राम रेखा प्रसाद, ग्राम–कल्याणपुर, थाना–कोरवा, जिला–मोतिहारी के बरवाँकलहा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि0, हरसिद्धी प्रखण्ड, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के अध्यक्ष पद पर मनोनयन करने में 11,000/–(ग्यारह हजार) रुपये रिश्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल के द्वारा रंगे–हाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा श्री प्रसाद के विरुद्ध निगरानी थानाकांड संख्या– 075/2008, दिनांक 01.10.2008 दर्ज है। श्री प्रसाद को विभागीय अधिसूचना सं. 4157 दिनांक 15.10.2008 द्वारा दिनांक 30.09.2008 के प्रभाव से निलंबित किया गया। कारगार से मुक्ति के फलस्वरूप श्री प्रसाद द्वारा योगदान समर्पित किया गया। चूँकि श्री प्रसाद के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति निर्गत है एवं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित होनी थी, फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं. 3502 दिनांक 31.08.2009 द्वारा पुनः अगले आदेश तक निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं. 1101 दिनांक 24.04.2009 से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सहकारी बैंक लि0, सिवान एवं नालन्दा को आर्थिक क्षति पहुँचाने के मामले में इनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं. 3911 दिनांक 08.11.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। साथ ही प्रत्यानुपातिक धनोपार्जन के मामले में इनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं. 104/2008में दर्ज है।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में अभिमत है कि आरोप घूस लेते गिरफ्तारी का है तथा निगरानी थाना कांड सं. 75/2008 दिनांक 01.10.2008 दर्ज है जो माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी, मुजफ्फरपुर में न्यायादेश हेतु चल रहा है। चूँकि आरोपित पदाधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं एवं न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं दिया गया है। अतः न्यायादेश के फलाफल के आधार पर आरोपित को दोषी या स्वच्छ करार दिया जा सकेगा। वर्तमान में यही सत्य है कि आरोपित पदाधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे–हाथ गिरफ्तार किये गये हैं। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित पाया गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य विभागीय कार्यवाही में केंद्रीय सहकारी बैंक लि0, सिवान एवं नालन्दा के अपने प्रबंध निदेशक के कार्यकाल में RBI के गाईड लाईन के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है। श्री प्रसाद के कृत्य से बैंक का पूँजी ऋणात्मक हो गया। फलस्वरूप उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक 4150 दिनांक 07.10.2013 द्वारा श्री सुरेश प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री प्रसाद ने द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर में उल्लेख है कि परिवादी का आरोप बिल्कुल ही फर्जी है तथा सहकारिता विभाग द्वारा गठित आरोप प्रपत्र ''क'' वैधानिक दृष्टिकोण से विधि सम्मत् नहीं है। उन्हें निगरानी द्वारा 11,000/–(ग्यारह हजार) रुपये की राशि लिये बिना ही गिरफ्तार किया गया था। आरोप घूस लेते हुए गिरफ्तारी का है तथा निगरानी थाना कांड सं. 75/2008 दिनांक 01.10.2008 माननीय विशेष न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर में न्यायादेश हेतु चल रहा है। उन्होंने अपने उपर लगे सारे आरोपों को अस्वीकार किया है।

श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री प्रसाद के विरुद्ध रिश्वत लेते हुए रंगे–हाथे पकड़े जाने का आरोप काफी गंभीर है। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी श्री प्रसाद के 11,000/–(ग्यारह हजार) रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे–हाथ पकड़े जाने के साथ–साथ कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने का आरोप प्रमाणित पाया गया है।

श्री सुरेश प्रसाद के विरुद्ध गंभीर कदाचार के मामले में दोषी पाये जाने के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरांत उन्हें निम्नांकित दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया :–

1. उपर्युक्त गंभीर आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (XI) के तहत् सेवा से बर्खास्त किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाय।
2. निलंबन अवधि (दिनांक 30.09.2008 से सेवा बर्खास्तगी तक) के लिए पूर्वप्रदत्त जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

उपर्युक्त दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

चूँकि श्री प्रसाद समूह–क के पदाधिकारी है अतएव श्री प्रसाद के विरुद्ध अनुमोदित दण्ड पर विभागीय पत्रांक 4870 दिनांक 26.11.2013 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति माँगी गयी।

उपरोक्त दण्ड के प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2637 लो.से.आ. दिनांक 28.02.2014 द्वारा अपनी सहमति दी गयी। उक्त दण्ड पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः श्री सुरेश प्रसाद, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति निलंबित जिनका विवरणी नीचे अंकित है, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है :–

1॰ उपर्युक्त गंभीर आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (XI) के तहत् सेवा से बर्खास्त किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाय।

2॰ निलंबन अवधि (दिनांक 30॰09॰2008 से सेवा बर्खास्तगी तक) के लिए पूर्व प्रदत्त जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

(i) सरकारी सेवक का नाम –श्री सुरेश प्रसाद

(ii) स्रकारी सेवक की जन्मतिथि – 06॰08॰1956

(iii) स्रकारी सेवा धारण की तिथि – 15॰08॰1989

(iv) सरकारी सेवक के पिता का नाम –स्व॰ सत्यनारायण प्रसाद

(iv) स्थायी पता –ग्राम–सबली, थाना–बैकुण्ठपुर, पो॰– खजुहट्टी,जिला–गोपालगंज।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव (निगरानी)।

---

26 मार्च 2014

सं॰ 8/नि॰को॰(रा॰)निग॰–109/12/1380––श्री भरोसा राम, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत को वारिसलीगंज मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति के सचिव श्री राजीव रंजन राय से 10,000/–(दस हजार) रुपये रिश्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा रंगे–हाथ गिरफ्तार किये गये तथा श्री राम के विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या– 10/2007, दिनांक 20॰01॰2007 दर्ज करते हुए इन्हें जेल भेज दिया गया। फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं॰ 488 दिनांक 20॰02॰2007 द्वारा दिनांक 20॰01॰2007 के प्रभाव से श्री राम को निलंबित किया गया। श्री राम के जेल से छूटने के बाद योगदान के पश्चात् विभागीय अधिसूचना सं॰ 1981 दिनांक 16॰05॰2008 के द्वारा उनका योगदान स्वीकृत किया गया एवं योगदान की तिथि से श्री राम को निलंबन से मुक्त किया गया। उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड में अभियोजन की स्वीकृति तथा आरोप पत्र समर्पित था। फलतः उन्हें विभागीय अधिसूचना सं॰ 1982 दिनांक 16॰05॰2008 से पुनः निलंबित किया गया तथा श्री राम के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय संकल्प सं॰ 968 दिनांक 16॰04॰2009 से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

श्री भरोसा राम के दिनांक 31॰07॰2010 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप श्री राम को दिनांक 31॰07॰2010 की तिथि के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया तथा विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में श्री राम के विरुद्ध 10,000/–(दस हजार) रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे–हाथ पकड़े जाने का आरोप प्रमाणित पाया गया। फलस्वरूप विभागीय पत्रांक 4627 दिनांक 17॰10॰2011 द्वारा श्री भरोसा राम से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री राम ने द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में उल्लेख किया है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ सं॰ 12527/2010 में दिनांक 23॰09॰2010 को पारित आदेश के अनुसार यदि आपराधिक मामले एवं विभागीय कार्यवाही का आरोप एक ही है तो वैसे मामले में आपराधिक मामलों के निष्पादन तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखा जा सकता है। चूंकि मामला मूलतः निगरानी थाना कांड पर आधारित है, जिसका विचारण माननीय विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित है। अतः न्यायिक प्रक्रिया के लंबित रहते हुए विभागीय कार्यवाही पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

श्री राम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आपराधिक मामले में न्यायिक प्रक्रिया लंबित रहते हुए विभागीय कार्यवाही पर निर्णय लिया जा सकता है। श्री राम के विरुद्ध रिश्वत लेते हुए रंगे–हाथे पकड़े जाने का आरोप काफी गंभीर है। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी श्री राम के 10,000/–(दस हजार) रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे–हाथ पकड़े जाने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त श्री राम के उपर कर्त्तव्य निर्वहन में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने का आरोप पूर्णतः प्रमाणित है।

श्री राम के विरुद्ध गंभीर कदाचार के मामले में दोषी पाये जाने के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरांत श्री भरोसा राम को निम्नांकित दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया :–

1॰ रोक रखी गयी 10%पेंशन एवं उपादान का भुगतान नहीं किया जाएगा। अधिसूचना निर्गत की तिथि से 100% (शत् प्रतिशत) पेंशन स्थायी रोक रखा जाएगा।

2॰ सम्पूर्ण निलंबन अवधि के लिए पूर्व प्रदत्त जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

उपर्युक्त दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

चूँकि श्री राम समूह–क के पदाधिकारी है अतएव श्री राम के विरुद्ध अनुमोदित दण्ड पर विभागीय पत्रांक 3791 दिनांक 10॰09॰2013 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति माँगी गयी।

उक्त दण्ड के प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2636 लो॰से॰आ॰ दिनांक 28॰02॰2014 द्वारा अपनी सहमति दी गयी। उक्त दण्ड पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः श्री भरोसा राम, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत जिनका विवरणी नीचे अंकित है, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है:–

1॰ रोक रखी गयी 10%पेंशन एवं उपादान का भुगतान नहीं किया जाएगा। अधिसूचना निर्गत की तिथि से 100% (शत् प्रतिशत) पेंशन स्थायी रोक रखा जाएगा।

2॰ सम्पूर्ण निलंबन अवधि के लिए पूर्व प्रदत्त जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

(i) सरकारी सेवक का नाम – श्री भरोसा राम

(ii) सरकारी सेवक की जन्म तिथि –08॰07॰1950

(iii) सरकारीसेवा धारण की तिथि – 01॰11॰1980

(iv) सरकारीसेवक के पिता का नाम – स्व॰ नन्हक राम

(iv) स्थायी पता–एच0–9, हाउसिंग कॉलोनी, चंदवाँ, डाकघर–चंदवाँ, थाना–नवादा, आरा (भोजपुर)।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव (निगरानी)।

---

28 मार्च 2014

सं० 8/नि॰को॰(रा॰) विभा–702/2013/1435––श्री आशीष कुमार झा, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, हजारीबाग सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰, हजारीबाग संप्रति सहायक निबंधक (अ॰र॰) सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के विरूद्ध नियम के विपरीत दी राँची–खूँटी सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰, राँची से 1,00,000/– (एक लाख रूपये) ऋण लेने एवं समय पर किस्त नहीं चुकाने संबंधी प्रबन्ध निदेशक, दी राँची–खूँटी सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰, राँची के पत्रांक 1407 दिनांक 08.03.2014 से प्राप्त प्रतिवेदन एवं पूर्व में भी इनके द्वारा प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक, हजारीबाग के पद पर रहते हुए ऋण लिया गया था, जो नियमानुसार अवैध था और जिसके लिए संचालित विभागीय कार्यवाही में इन्हें दोषी माना गया था, के आलोक में श्री आशीष कुमार झा, के विरूद्ध आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

2. अतएव उक्त वित्तीय अनियमितता के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 कि नियम 9 (1) (क) के तहत श्री झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का कार्यालय होगा।

4. निलंबन अवधि में श्री झा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 (1) के अनुसार नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उनके निर्धारित मुख्यालय से किया जायेगा।

5. इस आदेश में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव (निगरानी)।

---

31 मार्च 2014

सं० 8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–702/2013–**1460**––विभागीय अधिसूचना संख्या 1435 दिनांक 28.03.2014 के द्वारा श्री आशीष कुमार झा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, हजारीबाग, सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध नियम के विपरीत दी राँची खूँटी सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰, राँची से 1,00,000/– (एक लाख रूपये) ऋण लेने एवं समय पर किस्त नहीं चुकाने संबंधी प्रबंध निदेशक, दी राँची खूँटी सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰, राँची के पत्रांक 1407 दिनांक 08.03.2014 से प्राप्त प्रतिवेदन एवं पूर्व में भी इनके द्वारा प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰, के पद पर रहते हुए ऋण लिया गया था, जो अवैध एवं नियमानुकूल नहीं होने, के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालनार्थ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत श्री झा को दिनांक 28.03.14 के प्रभाव से निलंबित किया गया है ताकि श्री झा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र (प्रपत्र–क) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाय।

चूँकि श्री झा दिनांक 31.03.2014 को सेवानिवृत्त होने वाले है। अतएव बार्धक्य सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 31.03.2014 के प्रभाव से श्री झा को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव (निगरानी)।

2 अप्रील 2014

सं० 8 / नि०को०(रा०)विभागीय–702 / 2013–**1515**—विभागीय संकल्प संख्या–1436 दिनांक 28.03.2014 एवं संकल्प संख्या 1437 दिनांक 28.03.2014 के द्वारा श्री आशीष कुमार झा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, हजारीबाग, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध नियम के विपरीत दी राँची–खूँटी सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि०, राँची से 1,00,000 (एक लाख रुपये) ऋण लेने एवं समय पर किस्त नहीं चुकाने संबंधी प्रबंध निदेशक, दी राँची–खूँटी सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि०, राँची के पत्रांक–1407 दिनांक 08.03.2014 से प्राप्त प्रतिवेदन एवं पूर्व में भी इनके द्वारा प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि०, हजारीबाग के पद पर रहते हुए ऋण लिया गया था, जो अवैध एवं नियमानुकूल नहीं होने, के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

चूँकि श्री झा दिनांक 31.03.2014 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतएव उनके विरूद्ध संचालित उपरोक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।

उक्त आदेश में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव (निगरानी)।

ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना
29 जनवरी 2014

सं0 3 अ0प्र0–1–99 / 09–392—श्री उपेन्द्र कुँवर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल के द्वारा आर0ई0ओ0, नवादा प्रमंडल के स्तर से जलालपुर–सम्हरीगढ पथ निर्माण 3–4 कि0मी0 में स्वीकृत प्राक्कलन से विचलन करने एवं स्थल ओदश पुस्तिका में संवेदक को नियमानुकूल निदेश नहीं देने तथा ग्रेड – II के लेयर का प्रावधान होने के बावजूद उक्त कार्य को नहीं करने का आदेश स्थल आदेश पुस्तिका में देने के लिए दोषी पाये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 14(v) के तहत निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) असंचयात्मक रूप से दो वेतन वृद्धि पर रोक।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आर0 लक्ष्मणन, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in